कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू–प्रबंध), वन भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 207 भोपाल, दिनांक 09/01/2024

प्रेषक :–

एच.एस. मोहन्ता, (भा.व.से.)
अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) एवं
नोडल अधिकारी वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
मध्यप्रदेश, भोपाल।

प्रति,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, पश्चिम क्षेत्र केन्द्रीय पर्यावरण भवन,
लिंक रोड़ नं. 3, ई–5, रविशंकर नगर, मध्यप्रदेश, भोपाल।

विषयः– अलीराजपुर जिले में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ़ मार्ग के उन्नयन / चौड़ीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत्।

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक / 6-MPB 021/2022-BHO दिनांक 11.09.2023 .

----0----

कृपया उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। संदर्भित पत्र के द्वारा प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 02 बिन्दु पर जानकारी चाही गई है। आपके द्वारा चाही गई जानकारी का विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र.	बिन्दु	प्रतिवेदन
1	As the User Agency violated the FCA, 1980, in accordance with MoEF&CC guideline dated 15.05.2023, the DFO is authorized to initiate action against responsible persons and file a case under section 3A / 3B in Hon'ble Court. Also, the action taken report on the concerned responsible Forest officials shall be submitted.	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अपने पत्र दिनांक 05.01.2024 (छायाप्रति संलग्न) से अवगत कराया है कि वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग के मानचित्र अनुसार वनभूमि तथा राजस्व के रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नम्बर 12 के खसरा क्रमांक 52, 128, 132, 133, 134, 155, 154, 145, 144, 141, 136 की राजस्व भूमि है। वन खण्ड अकोलिया मध्य भारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक / 1101 / XF / 202(54) से संरक्षित वन घोषित है। उक्त अधिसूचना (रिक्त) है, जिसमें वन विभाग को हस्तांतरित ग्राम के खसरे व रकबे का कोई उल्लेख नहीं है और न ही उक्त वन खण्ड का मानचित्र उपलब्ध है। इस कारण वन / राजस्व सीमा स्पष्ट नहीं हो पा रही है। राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर मौके पर निर्माण कार्य किया गया। निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा वनक्षेत्र होने की जानकारी होने पर मौके पर निर्माण कार्य रोक दिया गया। निर्माण एजेंसी द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने की कोई मंशा प्रतीत नहीं होती है। वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा निर्माण एजेंसी को वन भूमि होने की सूचना न देकर कार्य रूकवाने में विलम्ब के लिए कारण बताओं नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

-2-

2	User Agency shall upload correct cost of the project on the PARIVESH portal.	वन मण्डलाधिकारी अलीराजपुर ने अवगत कराया है कि आवेदक संस्थान द्वारा प्रकरण की correct cost पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।

अतः प्रकरण में आपके द्वारा चाही गई जानकारी की पूर्ति हो गई है। कृपया प्रकरण की सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने का कष्ट करें।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार।

भवदीय

05.01.24

(एच.एस. मोहन्ता)

पृ. क्रमांक / एफ—5 / 1141 / 2022 / 10—11 / 208 भोपाल, दिनांक 09/01/2024

प्रतिलिपिः—

1. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (क्षेत्रीय) इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।
2. वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर / धार, मध्यप्रदेश।
3. संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, धार, मध्यप्रदेश।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

05.01.24

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू—प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन मण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, अलीराजपुर (म0प्र0)

फारेस्ट केम्पस, खण्डवा बडौदा रोड़, अलीराजपुर–457887
Tel & Fax No. 07394-234530 E-mail : dfot.alp@mp.gov.in

क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 81 दिनांक : 05-01-24
प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू–प्रबंध) मध्य प्रदेश, भोपाल

विषय :– अलीराजपुर जिलें में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ मार्ग के उन्नयन / चौडीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम, धार को उपयोग पर देने बाबत।

संदर्भ :– 1) भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक / 06MPB 021/2022-BHO दिनांक 11.09.2023।
2) आपका पत्र क्रमांक / एफ–5 / 1141 / 2022 / 10–11 / 4295 दिनांक 25.09.2023।

--- ☆ ---

उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि अलीराजपुर जिलें में ए.डी.बी.–6 योजना के अन्तर्गत भाभरा–उदयगढ मार्ग के उन्नयन / चौडीकरण हेतु 2.77 हेक्टेयर वनभूमि योजना अन्तर्गत भारत सरकार के संदर्भित पत्र से चाही गई वनमण्डल से संबंधित जानकारी निम्नानुसार तैयार कर सादर प्रेषित है।

01. As the User Agency violated the FCA, 1980, in accordance with MoEF&CC guideline dated 15.05.2023, the DFO is authorized to initiate action against responsable persons and file a case under section 3A/3B in Hon'ble Court. Also, the action taken report on the concerned responsable Forest officials shall be submitted.

चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

वर्तमान में मौका स्थल निरीक्षण करने पर उक्त निर्माण स्थल क्षेत्र वन विभाग मानचित्र अनुसार वनभूमि तथ राजस्व रिकार्ड अनुसार पटवारी हल्का नंबर 12 के खसरा क्रमांक 52,128,132,133,134,155,154,145,144,141,136 की राजस्व भूमि हैं। वनखण्ड अकोलिया मध्यभारत फॉरेस्ट एण्ड ट्रायबल वेलफेयर डिपार्टमेन्ट ग्वालियर की अधिसूचना क्रमांक / 1101/XF/202(54) से संरक्षित वन घोषित है उक्त अधिसूचना (रिक्त) है जिसमें वनविभाग को हस्तातरित ग्राम के खसरे व रकबे को कोई उल्लेख नही है न उक्त वनखण्ड का मानचित्र उपलब्ध हैं। जिस कारण से वन / राजस्व सीमा स्पष्ट नही हो पा रही है। निर्माणकर्ता एजेंसी द्वारा उक्त क्षेत्र राजस्व अभिलेखों में राजस्व भूमि के रूप में दर्ज होने के कारण राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्त कर मौके पर निर्माण कार्य किया। निर्माणकर्ता एजेंन्सी द्वारा उक्त भूमि के वनक्षेत्र होने की जानकारी होने पर मौके पर निर्माण कार्य रोक दिया गया था। निर्माणकर्ता एजेन्सी द्वारा पूरे प्रकरण में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लघंन करने की कोई मंशा प्रतीत नही होती है।

उपरोक्त निर्माण कार्य के संबंध में वनविभाग के कर्मचारियों द्वारा समय पर निर्माणकर्ता एजेन्सी को उक्त क्षेत्र वनभूमि होने की सूचना न देकर कार्य रूकवाने में विलम्ब करने से वन संरक्षण अधिनियम 1980 के उल्लघन के फलस्वरूप कारण बताओं नोटिस जारी कर अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

02. User Agency shall upload correct cost of the Project on the PARIVESH portal.

चाही गई जानकारी निम्नानुसार है :–

आवेदक विभाग द्वारा परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन प्रोजेक्ट की लागत में संशोधन कर पुनः प्रविष्टि कर दी गई है।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर

पृ0 क्रमांक / मा.चि. / 2024 / 82 दिनांक : 05-01-24
प्रतिलिपि :– मुख्य वन संरक्षक, वृत्त कार्यालय इन्दौर की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

वनमण्डलाधिकारी
वनमण्डल अलीराजपुर